

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-09.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत^{खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं}

सेवा क्र.	सेवाएं (2)	पदाधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील पदनाम (7)
(1)						

9.1 नवीन बी.पी.एल.
राशनकार्ड जारी करना

जिला मुख्यालय के
नगरीय क्षेत्र—

सहायक आपूर्ति
अधिकारी

30 कार्य दिवस

जिला आपूर्ति
नियंत्रक/
जिला आपूर्ति
अधिकारी

30 कार्य दिवस

कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र—				
9.2	नवीन ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना	तहसीलदार	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय—				
		आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्र—				
		आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		ग्रामीण क्षेत्र के लिये—				
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.3	डुप्लीकेट बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र—	15 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		सहायक आपूर्ति अधिकारी				
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र—				
		तहसीलदार	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय—				
		आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.4	डुप्लीकेट ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<u>जिला मुख्यालय के</u> <u>नगरीय क्षेत्र को छोड़कर</u> <u>शेष नगरीय क्षेत्र—</u>				
		आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		<u>ग्रामीण क्षेत्र के लिये—</u>				
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.5	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्, शक्कर एवं केरोसिन प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना	सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	<u>जिला मुख्यालय के</u> <u>नगरीय क्षेत्र के लिये—</u> जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
				<u>जिला मुख्यालय के</u> <u>नगरीय क्षेत्र को</u> <u>छोड़कर—</u> अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस,
प्रमुख सचिव